न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः– /2019

1. सतवीन्दर सिंह पुत्र सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी लालपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. जसप्रीत कौर पत्नि सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी लालपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

वादीगण

बनाम

1. सुखपाल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी लालपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,
92ए, 188 आरटीए

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण

1. श्री कुन्दन लाल चुघ अधिवक्ता	वादीगण
2. श्री मोहित चुघ अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1
3. राजपैरोकार	प्रतिवादी संख्या 2

दिनांक 20.01.2020

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक न0 29 एम जे डी तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या 100/102 की प0न0 71/182 मु0न0 1 किला न0 13, 17, 18, 23 ता 25 की 0.924 हैक्टर प0न0 71/183 मु0न0 3 किला न0 1/2, 2/2, 3 ता 7, 8/1 की 1.379 हैक्टर प0न0 71/184 मु0न0 5 किला न0 4 ता 7 की 1.012 हैक्टर कुल 3.315 हैक्टर रकबा में 2.399 हैक्टर रकबा है। नकल जमाबंदी संलग्न वादपत्र है। वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 हिन्दू संयुक्त परिवार के सहदायिक सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि जो पैतृक है का विभाजन घरेलू तौर पर कर लिया था। हिन्दू संयुक्त परिवार की सहदायिक सम्पति में प्रत्येक सदस्य का हक व हित होता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने काश्त की सहूलियत को देखते हुए अपनी तमाम कृषि भूमि का घरेलू तौर पर विभाजन कर लिया है। विभाजन के तहत वादीगण संख्या 1 व 2 को चक न0 29 एम जे डी तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या 100/102 की 3.315 हैक्टर रकबा में 2.024 हैक्टर कृषि भूमि प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अन्य चको में कृषि भूमि है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने विभाजन के तहत अपनी–अपनी कृषि भूमि काश्त कर रखी है। वादीगण की कब्जा काश्त में उपरोक्त कृषि भूमि है। वादीगण को घरेलू विभाजन के तहत प्राप्त भूमि पर वादीगण की शान्तिपूर्वक तरीके से कब्जा काश्त चली आ रही है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 में यह तय हुआ था कि जब भी वादीगण चाहेगे प्रतिवादी संख्या 1 उसके नाम से कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा देवेगा। वादीगण ने घरेलू विभाजन के तहत प्राप्त कृषि भूमि को अपने श्रम साधनो से उपजाऊ बनाया है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को आज से एक सप्ताह पूर्व कहा कि हमारे हक व हिस्से की कृषि भूमि जिस पर हम वादीगण की कब्जा काश्त है। राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा दो। लेकिन

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। बस यही विनाय मुखास्मत दावा है। वादीगण के हक व हिस्से में प्राप्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि को बैय व रहन एवं हस्तान्तरण कर सकता है। जिससे हम वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान पहुंचेगा। जिसकी क्षति–पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना से संभव नही है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आश्य की पाने की अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करें व वादीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बैय व रहन एव हस्तान्तरण करने से बाज व ममनू रहे। वादीगण यह घोषणा पाने का अधिकारी है कि वे चक न0 29 एम जे डी तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या 100/102 की 3.315 हैक्टर रकबा में 2.024 हैक्टर कृषि भूमि में बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री मोहित चुघ ने वकालतनामा पेश किया व इकबाल दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 की तरफ से जवाब स्टेट पेश हुआ कि राज्य हित को मध्य नजर रखते हुए वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो कोई ऐतराज नही होगा। वादपत्र में किसी प्रकार का विरोध नही होने पर बहस उभय पक्ष की सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वादपत्र को इकबाल दावा के आधार पर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एंव बहस सुनने के उपरान्त निष्कर्ष है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है। वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नि है। वादीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सहदायिक सदस्य है। जिसमें प्रत्येक सदस्य का हक व हित होता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपस में घरेलू तौर पर अपनी कृषि भूमि का विभाजन कर रखा है। उक्त तथ्यो को प्रतिवादी संख्या 1 ने इकबाल दावा पेश कर वादपत्र की ताईद की है। वादीगण के कथनो पर प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी सहमति प्रकट की है तथा वादीगण की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्य, इकबाल दावा एवं बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। ऐसी स्थिति में वाद वादीगण मुताबिक इकबाल दावा से स्वीकार कर लिये जाने पर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक न0 29 एम जे डी तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या 100/102 की 3.315 हैक्टर रकबा में 2.024 हैक्टर कृषि भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 सुखपाल सिंह का नाम इस हद तक कलमजन किया जावे। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। आदेश मे वर्णित भूमि पर बैंक रहन होने के स्थिती मे बैंक रहन फक होने पर आदेश की पालना की जावे। तहसीलदार सादुलशहर को पालनार्थ पत्र जारी हो। उक्तानुसार ही डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसला शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/1/20

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.05 17:26:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: